सविनय अवज्ञा आन्दोलन

[Civil Disobedience Movement]

कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन (1920–22) यद्यपि अपने लक्ष्य की प्राप्ति मे असफल रहा, लेकिन यह लाखों लोगों को अंग्रेजी शासन के विरूद्ध हुए आंदोलन में जोड़ने में सफल रहा। इसके बाद राष्ट्रीय आन्दोलन का संचालन शिथिल पड़ गया, देश में साम्प्रदायिकता का विकास होने लगा, सरकार, जनता पर अमानवीय अत्याचार करने लगी। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। ऐसी स्थिति में जनता में एक बार पुनः आन्दोलन शुरू करने की उत्सुकता थी। जब स्थिति को अनुकूल देखा तो गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1930 ई. में एक बार फिर जन आंदोलन का आह्वान किया, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद भारत की राजनैतिक परिस्थितियों में अनेक प्रकार के परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों तथा भारतीय समस्याओं के प्रति अंग्रेजी सरकार के अपरिवर्तित रवैये ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की।

सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण

(Causes of Civil Disobedience Movement)

1. **नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करना**—नेहरू रिपोर्ट भारतीयों के लिए भारतीयों द्वारा तैयार की गई पहली संवैधानिक योजना थी। यह प्रगतिवादी, दूरदर्शिता तथा राजनैतिक कौशल का एक सुन्दर उदाहरण था। इस विशाल प्रलेख में भारत की प्रत्येक समस्या पर विशद् रूप से विचार किया गया था। सर सैयद अहमद खां के अनुसार नेहरू रिपोर्ट अत्यन्त महत्वपूर्ण रचनात्मक प्रयास था। अब तक जो भी इस प्रकार के प्रयास अन्य संगठनों द्वारा किये गये, उनमें इसका अपना विशेष स्थान था। इसने देश के समक्ष एक महान आदर्श स्थापित किया था, जिसके स्थान की कभी पूर्ति नहीं हो सकती।

स्वयं ब्रिटिश राजनीतिज्ञ भी इसे पढ़कर आश्चर्यचकित रह गये थे, किन्तु वे अपनी पराजय स्वीकार नहीं करना चाहते थे और भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना ही करना

चाहते थे। अतः नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया। सरकार द्वारा नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति के बाद भारतीय नेताओं के समक्ष संघर्ष के अलावा अन्य कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं रह गया था।

(2) 1929–1930 की आर्थिक मंदी (Economic Depression of 1929-1930)—अक्टूबर 1929 में संसार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं की कीमतें तेजी के साथ गिरने लगीं। अनेक बैंक दिवालिया हो गये और उद्योग–धन्धे बन्द हो गये। इससे लाखों मजदूर बेरोजगार हो गये। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का गहरा प्रभाव भारत पर पड़ा। देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। बढ़ती महंगाई के कारण कृषकों की दशा इतनी दयनीय हो गई कि वे कर या लगान चुकाने की स्थिति में नहीं थे इसलिए जनता में तीव्र असंतोष फैला। सरकार स्थिति को नियंत्रण में करने में असफल रही।

(3) सरकार की गलत आर्थिक नीतियां (Government Wrong Decisions)—देश की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति के समय ब्रिटिश सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण औद्योगिक एवं व्यावसायिक वर्ग में भी तीव्र असंतोष फैलने लगा। सरकार ने अंग्रेज व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से रूपये की कीमत 16 पैसे से बढ़ाकर 18 पैसे कर दी थी, जिससे देश का व्यावसायिक वर्ग पूर्णतया असंतुष्ट हो गया।

(4) श्रमिकों की दयनीय स्थिति (Pitiable Condition of Labours)—1929 की आर्थिक मंदी के प्रभाव के कारण भारतीय श्रमिकों की स्थिति भी काफी शोचनीय हो गई। श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी पर कार्य करने को विवश होना पड़ा। उनके मध्य समाजवादी और साम्यवादी विचारधाराएं पनपने लगीं। मेरठ षड्यंत्र केस और लाहौर षड्यंत्र केस ने सरकार विरोधी आतंकवादी विचाराधाराओं को उग्र बना दिया। मजदूरों में अब संगठन की भावना और नवचेतना का संचार हुआ। किसान और मजदूर संगठित हो गये। देश में श्रमिक हड़तालों के कारण स्थिति और अधिक विकट हो गयी। नवयुवकों मे भी हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी, बंगाल और उत्तरी भारत के क्रांतिकारी गुट पुनः सक्रिय होने लगे थे, जिनमें भगतसिंह का हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऐसोसिएशन प्रमुख थी। देश को हिंसात्मक रास्ते पर आगे बढ़ता देखकर गाँधीजी ने उन प्रवृतियों को दूसरी और मोड़ना उचित समझा।

(5) लार्ड इरविन की घोषणा (Declaration of Lord Irwin)—इस समय इंग्लैण्ड मे मजदूर दल का शासन था और रैमजे मैकडोनल्ड वहां का प्रधानमंत्री था। मैकडोनल्ड की भारत के साथ कुछ सहानुभूति थी। उसके आदेश पर 31 अक्टूबर 1929 को भारतीय वायसराय लार्ड इरविन ने सम्राट की ओर से यह घोषणा की कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जायेगा। किन्तु लार्ड इरविन की घोषणा कूटनीति से परिपूर्ण थी। घोषणा में यह इगित नहीं किया गया कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य कब प्रदान किया जायेगा।

उधर, इंग्लैण्ड में अनुदार दल इस योजना का घोर विरोध कर रहा था। गाँधी, जिन्ना

सर तेजबहादुर प्रू तथा विट्ठलभाई पटेल आदि नेताओं ने दिल्ली में वायसराय से भेंट कर वास्तविक स्थिति की जानकारी चाही परन्तु उन्हें निराश होना पड़ा। वायसराय औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना के सम्बन्ध में इन नेताओं को कोई निश्चित आश्वासन नहीं दे सके।

(6) कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज्य की मांग (Lahore Session of Congress and Demand for Total Independence)—इसी उत्तेजनापूर्ण वातावरण में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में प्रारम्भ हुआ, जिसमें सम्मेलन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि औपनिवेविशक स्वराज्य के प्रस्ताव को स्वीकार करने का समय बीत चुका है और अब भारत का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य है। 31 दिसम्बर 1929 ई. की मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराकर स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा। 26 जनवरी 1930 ई.को सम्पूर्ण देश में पूर्ण स्वंतत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई।

आन्दोलन की तैयारी (Preparation for Movement)

फरवरी 1930 में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अहमदाबाद में पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारम्भ करने का अधिकार गाँधीजी को दे दिया। गाँधीजी आन्दोलन की प्रारम्भिक तैयारियों मे जुट गए।

गाँधी द्वारा सरकार से समझौते का प्रयास एवं ग्यारह सूत्री मांग (Gandhi's Try for Agreement from Government and Demands of Eleven Point Programme)

अपने भावी कार्यक्रम की योजना के बारे में गाँधी भी प्रारम्भ में निश्चित नहीं थे। आन्दोलन प्रारम्भ करने से पहले वे एक बार सरकार से समझौता करने की दिशा में कदम उठाना चाहते थे। अतः उन्होंने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित करके सरकार के समक्ष अपनी ग्यारह सूत्री मांगे पेश की और वायदा किया कि सरकार द्वारा उन शर्तों को मान लेने की स्थिति में सत्याग्रह की योजना समाप्त कर दी जायेगी। ये ग्यारह शर्तें इस प्रकार थी–

1. सम्पूर्ण मदिरा निषेध।
2. रूपये की विनिमय दर घटाकर एक शिंलिंग 4 पैसे की जाये।
3. जमीन का लगान 50 प्रतिशत कम किया जाये।
4. सिविल सर्विस का वेतन आधा कर दिया जावे।
5. रक्षात्मक शुल्क लगाये जाये और विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाये।
6. तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाये।
7. गुप्तचर विभाग समाप्त कर दिया जाये या उस पर सार्वजनिक नियंत्रण रहे।
8. भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए आग्नेय अस्त्र रखने के लिए लाइसेंस दिये जाये।
9. नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त किया जाये तथा नमक–कर को खत्म किया जावे।
10. सैनिक व्यय में कम से कम 50 प्रतिशत की कमी की जाये।
11. उन सभी राजनैतिक कैदियों को छोड़ दिया जाये, और सभी मुकदमे वापस ले लिए जाए तथा भारत से निर्वासित किए गये सभी लोगों को भारत आने दिया जाए।

गाँधीजी के प्रस्ताव पर सरकार की प्रतिक्रिया नकारात्मक थी। वायसराय इरविन ने गाँधीजी को संक्षिप्त उत्तर दिया, जिसमें उन्होंने खेद प्रकट किया कि गाँधी ऐसा मार्ग अपना रहे है, जिससे स्पष्टतः कानून का उल्लंघन होगा और जो सार्वजनिक शांति के लिए खतरा है।[1] गाँधीजी ने अपने प्रत्युत्तर में कहा– **"मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी और बदले मे मुझे पत्थर मिला।**[2]

सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रारम्भ
(Starting of Civil Disobedience Movement)

जब गाँधी की ग्यारह सूत्री मांगों को अस्वीकार कर दिया गया तब आन्दोलन के अलावा अन्य चारा नहीं बचा। गाँधीजी नमक कानून को अन्यायपूर्ण समझते थे। उनका मानना था कि नमक गरीबों का सबसे बड़ा मित्र है। अतः उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं दाण्डी समुद्र तट पर शासन की आज्ञा के बिना नमक बनाएंगे और इस प्रकार कानून का उल्लंघन करेंगे। यहाँ उल्लेखनीय है कि सरकार ने 1923 ई. में नमक पर कर दुगुना कर दिया था और इसे समुद्र के पानी से तैयार करना भी कानूनी अपराध घोषित कर दिया था। अतः गाँधीजी ने अपने कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह की ट्रेनिंग दी थी और सविनय अवज्ञा आन्दोलन का आरम्भ 'दाण्डी यात्रा' की ऐतिहासिक घटना से हुआ।

दाण्डी यात्रा, मार्च 1930 (Dandi March)

12 मार्च 1930 को अपने 79 चुने हुए अनुयायियों के साथ गाँधीजी ने साबरमती आश्रम से 200 मील की दूरी पर स्थित समुद्र तट की ऐतिहासिक पैदल यात्रा शुरू की। उनके इस निर्णय की सूचना पाकर अनेक कार्यकर्ता किसान, मजदूर उनके साथ हो लिए। गाँधीजी के इस अद्भुत प्रयोग को देखने के लिए देश–विदेश के अनेक प्रतिनिधि एवं राजनेता अहमदाबाद में एकत्र हुए था। लगभग सारा अहमदाबाद उनके पीछे एक जुलूस के रूप में चल पड़ा। लगभग 200 मील की यात्रा पैदल चलकर 24 दिन में पूरी की गई। रास्ते में किसानों ने उनका सन्देश सुना, जिससे प्रभावित होकर बहुत से लोग कांग्रेस के सदस्य बने और ग्रामीणों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। उनकी यात्रा ने किसानों को बहुत उत्साहित किया। सरोजिनी नायडू, सुभाष चन्द्र बोस ने गाँधी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट के **"पेरिस मार्च"** और मुसालिनी के **"रोम मार्च"** से की है।

गाँधी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे। 6 अप्रेल, 1930 को गाँधी ने समुद्र के पानी से नमक बनाया और शांतिपूर्वक तथा अहिंसक ढंग से सरकारी कानून का उल्लंघन किया, जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण देश में **'सविनय अवज्ञा आन्दोलन'** प्रारम्भ करने का संकेत मिल गया। आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार था –

1. हर जगह नमक कानून तोड़ा जाये।
2. विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों का बहिष्कार।
3. सरकार को किसी प्रकार का कर अदा नहीं करना।
4. औरतों द्वारा शराब, अफीम तथा विदेश कपड़ों की दुकानों पर धरना।
5. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और उन्हें जलाया जाए।

आंदोलन की प्रगति (Progress of The Movement)

गाँधीजी द्वारा नकम कानून तोडने के साथ ही आंदोलन प्रारम्भ हो गया और दिन–प्रतिदिन इसका प्रभाव बढ़ता गया। राजनैतिक विश्लेषण ने गाँधीजी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए नमक कानून को तोड़ना एक अत्यंत सूझ–बूझ का द्योतक बतलाया है। गाँधीजी का कथन है–**"मैं एक निर्धन की दृष्टि से नमक कर को सबसे महत्वपूर्ण समझता हूँ। चूंकि स्वतंत्रता वास्तव में निर्धन लोगों के लिए है, अतः आरम्भ हमको इसी कानून को तोड़कर करना होगा"**[1]

एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन प्रारम्भ हो गया। नमक कानून केवल समुद्रतटीय प्रदेशों में ही तोड़े जा सकते थे। अतः देश के अन्य भागों में अन्य कानूनों को तोड़ा गया। शराब की दुकानों तथा विदेशी कपड़ें की दुकानों के सामने स्त्रियों ने धरना दिया। फलतः दोनों का बहिष्कार काफी सफल रहा। अंग्रेजी बैंकों, अंग्रेजी बीमा कम्पनियों, अंग्रेजी जलपोतों तथा अन्य विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। किसानों ने कर नहीं देने का आंदोलन चलाया। किसान आंलोन ने संयुक्त प्रदेश के अवध, गुजरात, बंगाल, बरार के बुलडाना तथा कर्नाटक के कनारा में उग्र रूप धारण कर लिया। मध्य प्रांत तथा मुम्बई में वृक्ष काटकर वन संबंधी कानूनों को तोड़ा गया। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों तथा अदालतों के बहिष्कार इस आंदोलन के प्रमुख पक्ष रहे। इस आंदोलन का मुख्य आधार राजनैतिक होने के साथ–साथ आर्थिक भी था, अतः व्यवसायी वर्ग ने भी इसमें काफी सहायोग दिया। श्रमिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अनेक स्थानों में मजदूरों की हड़तालें हुई। **नागालैण्ड की अल्पवयस्क रानी गौडिनल्यू ने सरकार के विरूद्ध विद्रोह का अलग झण्डा** खड़ा किया। उत्तर–पश्चिमी सीमा प्रांत में अत्यधिक बलशाली सरकार के विरोध अभियान का नेतृत्व अब्दुल गफ्फार खां द्वारा किया गया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई महत्त्वपूर्ण घटनाएं
(Important Events During Civil Disodebience Movement)

1. 18 अप्रेल, 1930 को सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगाँव के क्रांतिकारियों ने स्थानीय शस्त्रागार पर इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता की घोषणा कर दी और 22 अप्रेल को जलालाबाद पहाड़ी के युद्ध में 12 क्रांतिकारी शहीद हो गए। हिंसक प्रवृति के बावजूद इनका नारा था "गाँधीजी का राज आ गया है।"

2. पेशावर में अब्दुल गफ्फार खान या बादशाह खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल नामक एक संगठन बनाया। लाल कुर्ती आंदोलन ने पठानों में राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया। गफ्फार खान जिन्हें सीमांत गाँधी भी कहा जाता है, ने लोगों में अहिंसा एवं ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ जागृति का संचार किया। 23 अप्रेल 1929 को गफ्फार खान की गिरफ्तारी से पेशावर में जन आक्रोश फैल गया और भीड किस्सा कहानी बाजार में 3 घंटे बरतरबंद गाडियों की गोलीबारी के आगे डटी रही। इसमें करीब 250 लोगों की मृत्यु हो गई। 25 अप्रेल से 4 मई तक जनता का शहर पर कब्जा रहा। गफ्फार खान ने लोगों में चेतना के लिए मासिक पत्र **"वख्तून"** भी निकाला।
3. गाँधीजी की गिरफ्तारी के विरोध में शोलापुर में मिल मजदूरों ने 7 मई को हड़ताल की। भीड़ ने शराब की दुकानें जला डाली, पुलिस चौकियों, न्यायालयों, नगर निगम के भवन एवं रेलवे स्टेशन पर हमला किया गया।
4. 14 मई को गाँधी की गिरफ्तारी के बाद बंबई में प्रदर्शन हुए जिसमें मिल के लगभग 50000 मजदूर शामिल हुए। 8 मई को पुलिस झड़प के बाद एक हफ्ते तक यहां का शासन जनता के हाथ में रहा।
5. 21 मई को सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और गाँधीजी के पुत्र मणिलाल के नेतृत्व में लगभग 2000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरसाना के नमक कारखाने पर धावा बोला। पुलिस ने निर्ममता से प्रतिकार किया।
6. मध्य प्रांत में बैतूल के "गंजन कोरलू" नामक गोड नेता ने वन कानून को तोड़ा।
7. बुंदेलखंड के छतरपुर में मालगुजारी कम करने के आंदोलन की अगुवाई "डाकू मंगल सिंह" ने की।
8. तमिलनाडू में कोयंबटूर, मदुरै एवं विसदनगर आंदोलन के प्रमुख केन्द्र थे। सी. राजगोपालाचारी ने अप्रेल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजापुर के समुद्र तट पर त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक की यात्रा आयोजित की।
9. मालाबार में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व केलप्पन (वाइकोम आंदोलन के नेता) ने किया।
10. असम में राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने वाले "कनिंघम सर्कुलर" का विरोध हुआ, जिसका केन्द्र सिलहट था। "चंद्र प्रभा सैकियानी" वन कानून उल्लंघन की नेता थी।

सरकार का दमन (Suppression by Government)

सरकार ने आंदोलन का जोरदार दमन शुरू किया, किन्तु जनता के उत्साह में कमी नहीं आई। अनेक स्थानों पर पुलिस ने निहत्थे जनसमूह पर गोलियां चलाई और भीड़ तथा जुलूसों पर लाठी–प्रहार किये। देशभर में पुलिस ने अमानुषिक अत्याचार किए। इसके फलस्वरूप बंगाल के आतंकवादी राष्ट्रवादियों ने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। सूर्यसेन ने चटगांव पुलिस शस्त्रागार पर आक्रमण किया और बहुत–से शस्त्र लेकर नगर के पास

की पहाड़ियों में छिप गया, जहां उसने अस्थायी स्वतंत्र भारत के गठन की घोषणा की। 1930 मे मदन मोहन मालवीय तथा वी.जे. पटेल ने विधानसभाओं से त्याग–पत्र दे दिया।

सरकार के अनेक दमकारी कानूनों, स्त्री–पूरूषों की गिरफ्तारियों और पुलिस तथा सेना के अत्यधिक गोलीकांडों ने देश में एक आतंक का राज्य स्थापित कर दिया। कांग्रेस एक अवैध संस्था घोषित कर दी गई। 15 मई 1930 को गाँधीजी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी से आंदोलन और अधिक उग्र हो गया, किन्तु सरकार भी अब गाँधीजी और कांग्रेस के महत्व को अच्छी तरह समझ गई तथा आंदोलन को दबाने के लिए विरोध के स्थान पर संवैधानिक सुधार की बात सोचने लगी। इसी उद्देश्य से लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, किन्तु कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह असफल रहा। बाध्य होकर सरकार को गाँधीजी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी। यह समझौता "गाँधी इरविन पैक्ट" के नाम से प्रसिद्ध है।

गाँधी-इरविन समझौता (Gandhi-Irwin Agreement)

5 मार्च 1931 को गाँधी–इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। कांग्रेस की ओर से गाँधीजी ने विश्वास दिलाया–

1. वह सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर देंगे।
2. दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलत होंगे।
3. वे सत्याग्रहियों पर किये अत्याचारों की जांच की मांग छोड़ देगे।

सरकार की ओर से लार्ड इरविन ने घोषणा की (Declaration by Lord Irwin on behalf to The Government)

1. सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बंदी बनाये गये उन सभी राजनैतिक कैदियों को, जिन्होंने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया था, छोड़ दिया जायेगा।
2. सभी आपातकालीन अध्यादेश रद्द कर दिए जायेगे।
3. जो जुर्माने किए गए है या जहां सरकार ने भूमि जब्त तो कर ली है, किन्तु नीलाम नहीं की है, वह सब लौटा दी जाएगी।
4. शराब, अफीम या विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरने की अनुमति होगी।
5. समुद्र तट के पास रहने वाले लोगों को अपने उपयोग के लिए नमक एकत्रित करने या बनाने का अधिकार होगा।

समझौते पर प्रतिक्रिया (Reaction on Agreement)

गाँधी–इरविन समझौते से अनेक उग्र राष्ट्रवादी नेताओं, जिनमें जवाहरलाल नेहरू सुभाष चन्द्र बोस आदि प्रमुख थे, को काफी निराशा हुई। उन्होंने इसे गाँधी का आत्म समर्पण माना। समझौते में कांग्रेस के स्वतंत्रता के प्रस्ताव की पूर्णतया उपेक्षा की गई थी। इस समझौते से लोग इसलिए भी नाराज हुए कि गाँधी, भगतसिह, राजगुरू और सुखदेव की फांसी की सजा को आजन्म कारावास में नहीं बदल सके, जिसके कारण 23 मार्च 1931 को

सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः आरम्भ करना
(Rebreaking off Civil Disobedience Movement)

कांग्रेस तथा सरकार के सम्बन्धों में पूर्ण गतिरोध उत्पन्न हो गया और कांग्रेस कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः आरम्भ करने की अनुमति दे दी। 4 जनवरी 1932 को गाँधीजी कैद कर लिये गये, इससे पूर्व दिसम्बर 1931 में ही नेहरू तथा गफ्फार खां भी कैद कर लिये गये थे।

सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे–धीरे शिथिल पड़ता गया। 8 मई 1933 को जब महात्मा गाँधी जेल से मुक्त किये गये तो आंदोलन स्थगित किये जाने पर विचार किया गया। बहुत सोच विचार के बाद 7 जुलाई, 1933 ई. में जन आंदोलन के स्थान पर व्यक्तिगत आंदोलन प्रारम्भ किया, किन्तु अन्त में यह भी मार्च 1934 में समाप्त कर दिया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन
(Evaluation of Civil Disobedience Movement)

सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देने से कांग्रेस का नवयुवक वर्ग असन्तुष्ट हुआ, लेकिन गाँधीजी के पास आंदोलन बन्द करने के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं था। जनता के अपार कष्ट और हिंसा की प्रवृत्ति को देखकर ही उन्होंने आंदोलन बंद कर दिया। यह कांग्रेस की करारी हार मानी गई, फिर भी यह आंदोनल निष्फल नहीं हुआ। यद्यपि यह आंदोलन स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा, तथापि इस आंदोलन ने देश को अधिक व्यापाक स्तर पर सरकार–विरोधी अभियानों के लिए तैयार कर दिया। आन्दोलन का **महत्व** इस प्रकार है–

1. इस आंदोलन के प्रभाव व्यापक तथा दूरगामी हुए। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, जिसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को महत्वपूर्ण चुनौती दी।
2. इस आंदोलन में पुरूषों, स्त्रियों, बच्चों, युवकों, कृषकों, छात्रों तथा मजदूरों समेत के समस्त लोग्रों ने भाग लिया। पहली बार स्त्रियों ने इतनी बडी संख्या में इस आंदोलन में पर्दा त्याग कर भाग लिया। **सत्या एम.राय ने लिखा है–"इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक आधार बहुत विस्तृत बना दिया।"**
3. सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक अन्य विशेषता यह थी कि सरकार के समस्त अत्याचारों के बावजूद आंदोलनकारियों ने अहिंसा का परित्याग नहीं किया, जिससे भारतीयों में आत्मबल, निर्भयता तथा बलिदान के गुण उत्पन्न हुए, जो स्वतंत्रता की नींव है। स्वदेशी का प्रचार होने से आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हुआ। जनता का अंग्रेजों के झूठे वादों तथा सद्भाव के प्रति विश्वास नहीं रहा। भारतीय जनता

अब स्वतंत्रता के लिए दृढ संकल्प थी। ब्रेल्सफोर्ड ने लिखा है–"भारतीय अपना उद्देश्य निश्चित कर चुके थे, अपने दिलों में स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके थे। गाँधी ने एक सौम्य तथा निष्क्रिय राष्ट्र को शताब्दियों की निद्रा से जगा दिया।"[1]

4. गाँधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वारा भारतीय नवयुवकों की क्रान्तिकारी गतिविधियों को शिथिल बना दिया। यद्यपि क्रान्तिकारी गतिविधियाँ पूर्णतया समाप्त नहीं हो सकीं, किन्तु उनमें धीमापन आ गया।
5. इस आंदोलन में प्रायः सभी सम्प्रदायों तथा राजनैतिक दलों ने भाग लिया था। मुस्लिमों ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किन्तु " जमायते–उल्मा", " मुस्लिम राष्ट्रीय दल" तथा " एइर्रारूल इस्लाम" जैसे मुस्लिम दलों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अब्दुल गफ्फार खां तथा उनके पठान सेवक संगठन "खुदाई खिदमतगारों". ने निभाई।
6. इस आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तथा किसी भी संवैधानिक सुधारों में इसकी अवहेलना सम्भव नहीं है। इस आंदोलन के कारण गाँधीजी का भारतीय राजनीति में महत्व बहुत बढ़ गया। अब उन्हें भारत–भाग्य–विधाता कहा जाने लगा।
7. इस आंदोलन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा के साथ–साथ छुआछूत, सामाजिक भेदभाव साम्प्रदायिकता तथा पर्दा प्रदा जैसी सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार हुआ।

आंदोलन की कमजोरियां (Weaknesses of The Movement)

इस आंदोलन ने कांग्रेस की आन्तरिक कमजोरियों को भी स्पष्ट कर दिया। कांग्रेस के पास भावी आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम नहीं था, अतः कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम में किसानों की आर्थिक मांगों के समर्थन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये। रजनीपाम दत्त[2] जैसे वामपंथी इतिहासकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के लिए आंदोलन के नेतृत्व को उत्तरदायी मानते हुए कहा है कि–"1930–34 ई. में संघर्ष की जो महान लहर उठी थी, उसके दुखद अंत में हमें एक क्षण के लिए भी यह नहीं भूलना चाहिए कि इस आंदोलन की महान उपलब्धियां रही। यह संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। संघर्ष की भट्टी में तपकर इस आंदोलन ने जनता में एक नई और अपेक्षाकृत अधिक राष्ट्रीय एकता आत्मविश्वास, गौरव तथा संकल्प को जन्म दिया।"